माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष
निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में:

1. **क्यूएच तालब्रोस लिमिटेड**-विभाजित कंपनी/ हस्तांतरी कंपनी/याचिकाकर्ता/कंपनी नंबर 1
2. **तलवार स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन लिमिटेड**-
परिणामी कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 2
3. **तालब्रोस इंटरनेशनल लिमिटेड**- हस्तांतरणकर्ता
कंपनी नंबर 1/याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 3
4. **एएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड**- हस्तांतरणकर्ता
कंपनी नंबर 2/ याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 4
5. **ब्लॉस्टर्न इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड**
हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 3/याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 5

2015 का सीपी नंबर 29 (ओ एंड एम)
और 2014 का सीपी नंबर 191

अक्टूबर 19, 2015

भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 - धारा 394 - समामेलन योजना - विभिन्न कंपनियों के विलय के लिए याचिकाएं - क्या एकल याचिका सुनवाई योग्य है?- योजना पर विचार करने के लिए, विलय/अलग की जाने वाली कंपनियों के सटीक आंकड़े, संख्या, वित्तीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं होंगे और साथ ही बैठकों में कंपनियों के सदस्यों और लेनदारों के समक्ष प्रस्तुति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे - न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई योजना के अनुमोदन की मांग करने वाली याचिकाएं, विचार नहीं किया जा सकता - याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा कि क्या विभिन्न कंपनियों के विलय/विविलय या उसके आंशिक कारोबार की

मांग करते हुए एक भी याचिका दायर की जा सकती है। इस पर दलीलें सुनी गईं।

(पैरा 3)

यह अभिनिर्धारित किया गया है गया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से यह पता नहीं चलता है कि किसी भी मामले में विभिन्न कंपनियों के विलय/ विघटन के लिए प्रदान करने वाली एकल समग्र योजना को एकल याचिका दायर करके मंजूरी के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

(पैरा 34)

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि इस तरह की योजना, जैसा कि मामले में न्यायालय के समक्ष रखा गया है, पर विचार किया जाता है, तो विलय/अलग की जाने वाली कंपनियों के सटीक आंकड़े, संख्या, वित्तीय न्यायालय के समक्ष और साथ ही बैठकों में कंपनियों के सदस्यों और लेनदारों के समक्ष प्रस्तुति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। पहले भाग के कार्यान्वयन के बाद कंपनी की स्थिति क्या होगी, जो योजना में दूसरे भाग से स्वतंत्र है, यह ज्ञात नहीं होगा। बैठकों में, सदस्यों या लेनदारों के लिए योजना की जांच करना संभव नहीं हो सकता है। इस मुद्दे की जांच हमेशा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

(पैरा 35)

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दावा किया गया है कि, योजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है, विभिन्न कंपनियों और विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाली एक समग्र योजना को मंजूरी देने का अच्छा आधार नहीं होगा। यदि एक समग्र याचिका दायर की जानी है, तो यह दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच व्यवस्था होनी चाहिए, न कि अलग-अलग कंपनियों को शामिल करने वाली अलग-अलग व्यवस्था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय योजना की मंजूरी के समय कंपनियों के सदस्यों के व्यावसायिक सिद्धांतों या वाणिज्यिक ज्ञान की जांच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन डोमेन के भीतर है और यह उसी में आएगा। यह कंपनी न्यायालय का कर्तव्य है कि

वह कंपनी के सदस्यों और लेनदारों के समक्ष सही तथ्यों, संख्याओं, आंकड़ों की प्रस्तुति सुनिश्चित करे। कंपनियों के पास कार्रवाई के अलग-अलग कारण हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है।

(पैरा 37)

अशोक अग्रवाल और
मुनीषा गांधी, 2015 के सीपी नंबर 29 में याचिकाकर्ता-कंपनियों के वकील पंकज जैन और मुकुल अग्रवाल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता।

2015 के सीपी नंबर 112 और 113 में याचिकाकर्ता-कंपनियों के वकील दीपक सूरी और मुकुल अग्रवाल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दलीलें पेश कीं।

2015 के सीपी नंबर 157 में याचिकाकर्ता कंपनियों के वकील सलीना चलाना के साथ वरिष्ठ वकील मुनीषा गांधी।

दीपक अग्रवाल, वकील डी. के. सिंह,
आधिकारिक परिसमापक।

माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

(1) यह आदेश 2015 के सीपी नंबर 29, 112, 113 और 157 का निपटारा करेगा, क्योंकि इसमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) ये दूसरी याचिकाएं हैं जो व्यवस्था/समामेलन की योजना (सभी याचिकाओं में अनुलग्नक पी-1) के अनुमोदन के लिए दायर की गई हैं।

(3) सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा कि क्या विभिन्न कंपनियों के विलय/विविलय या उसके आंशिक कारोबार के लिए एक भी याचिका दायर की जा सकती है। इस पर दलीलें सुनी गईं।

<u>2015 का सीपी नंबर 29</u>

(4) यह याचिका उस योजना की मंजूरी के लिए दायर की गई है, जिसके तहत क्यूएच तालब्रोस लिमिटेड के 'ऑटो कंपोनेंट अंडरटेकिंग' को

तलवार स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन लिमिटेड में विलय किया जाना है। यह योजना का एक भाग है।

(5) दूसरे भाग में तालब्रोस इंटरनेशनल लिमिटेड, एएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और ब्लॉस्टर्न इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का विलय डीमर्जेस्ट कंपनी यानी क्यूएच तालब्रोस लिमिटेड में करने का प्रावधान है।

(6) इसका अर्थ है कि इस योजना के पहले भाग में, क्यूएच तालब्रोस लिमिटेड हस्तांतरणकर्ताकंपनी और तलवार स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन है। लिमिटेडहस्तांतरीकंपनी है, जबकि दूसरे भाग में योजना, तालब्रोस इंटरनेशनल लिमिटेड, एएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और ब्लॉस्टर्न इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरणकर्ता कंपनियां हैं, जबकि क्यूएच तालब्रोस लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है।

(7) दो भागों में उपर्युक्त विघटन/विलय के परिणामस्वरूप, परिणामी हस्तांतरणी कंपनियों का नाम बदलकर तलवार स्टरिंग एंड सस्पेंशन लिमिटेड कर दिया जाएगा, जिसका नाम बदलकर क्यूएच तालब्रोस लिमिटेड कर दिया जाएगा, जबकि योजना के प्रभावी होने के बाद तालब्रोस इंटरनेशनल लिमिटेड, एएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और ब्लॉस्टर्न इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर तलब्रोस इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया जाएगा।

<u>2015 का सीपी नंबर 29</u>

(8) यह याचिका क्काट्रो बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 1/डीमर्जिस्ट कंपनी 1) के एफपीओ बिजनेस (विभाजित अंडरटेकिंग-1)" को क्काट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (फर्स्ट परिणामी कंपनी/ विभाजित कंपनी 2/याचिकाकर्ता

कंपनी 2) में अलग करने की योजना के तहत दायर की गई है। यह योजना का एक भाग है।

(9) दूसरे भाग में क्काट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पहली परिणामी कंपनी/ विभाजित कंपनी 2/याचिकाकर्ता कंपनी II) के "क्यूजीएस एफपीओ बिजनेस (विभाजित अंडरटेकिंग-II)" को क्काट्रो बिजनेस सपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (दूसरी परिणामी कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी III) में अलग करने का प्रावधान है।

(10) इसका अर्थ है कि इस योजना के पहले भाग में, क्काट्रो बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरणकर्ता कंपनी है और क्काट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है, जबकि योजना के दूसरे भाग में, क्काट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरणकर्ताकंपनी है, जबकि क्काट्रो बिजनेस सपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है।

2015 का सीपी नंबर 113

(11) यह याचिका स्कोप ई-नॉलेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ताकंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 1) का क्काट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफेरी कंपनी/फर्स्ट परिणामी कंपनी/ विभाजित कंपनी 2/याचिकाकर्ता कंपनी 3) में विलय करने की योजना के अनुमोदन के लिए दायर की गई है। यह योजना का एक भाग है।

(12) दूसरे भाग में क्काट्रो लीगल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (डिमर्जिड कंपनी 1/याचिकाकर्ता कंपनी द्वितीय) के "बौद्धिक और पेटेंट एनालिटिक्स बिजनेस (विभाजित अंडरटेकिंग-1)" को क्काट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरी कंपनी/फर्स्ट परिणामी कंपनी/विभाजित कंपनी 2/याचिकाकर्ता कंपनी III) में अलग करने का प्रावधान है और तीसरे भाग में क्काट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरी) के "क्यूजीएस केपीओ बिजनेस (विभाजित अंडरटेकिंग-2) का विलय किया गया है। कंपनी/पहली परिणामी कंपनी/ विभाजित कंपनी 2/याचिकाकर्ता कंपनी III) का विलय स्कोप ई-नॉलेज सॉल्यूशंस

प्राइवेट लिमिटेड (दूसरी परिणामी कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी IV) में किया जाएगा।

(13) इसका मतलब है कि योजना के पहले भाग में, स्कोप ई-नॉलेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरणकर्ता कंपनी है और क्वाट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है, जबकि योजना के दूसरे भाग में, क्वाट्रो लीगल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरणकर्ताकंपनी है और क्वाट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है, और तीसरे भाग में क्वाट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है। क्वाट्रो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरणकर्ता कंपनी है और स्कोप ईकानोलेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है।

2015 का सीपी नंबर 157

(14) याचिका इस योजना की मंजूरी के लिए दायर की गई है, जिसके तहत कजारिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 1/समामेलित कंपनी 1), पर्ल टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 2/समामेलित कंपनी 2) और चेरी का विलय किया जाएगा। सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 3 / समामेलित कंपनी 3) कजारिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 4 / समामेलित कंपनी / यह योजना का एक भाग है।

(15) दूसरे भाग **में** "निवेश" के विघटन का प्रावधान है कजारिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 4/ समामेलित कंपनी / विभाजित कंपनी) का व्यावसायिक उपक्रम कजारिया पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 5 / परिणामी कंपनी) में।

(16) इसका अर्थ है कि इस योजना के पहले भाग में, कजारिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और चेरी सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरणकर्ता कंपनियां हैं और कजारिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है, जबकि योजना के दूसरे भाग में, कजारिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

हस्तांतरणकर्ता कंपनी है, और कजारिया पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड हस्तांतरी कंपनी है।

(17) याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि समग्र योजना तैयार की गई है क्योंकि सलाहकार द्वारा सभी मुद्दों की विस्तार से जांच की गई है। सभी कंपनियां एक ही समूह की हैं। इस योजना को कंपनियों के शेयरधारकों/लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसलिए, दूसरे चरण में याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि एक समग्र याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

(18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 (संक्षेप में, '1956 अधिनियम') के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि इसमें उपयोग किए गए शब्द एकवचन में नहीं बल्कि बहुवचन में हैं। इसलिए, यह राय नहीं दी जा सकती है कि एक समग्र याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। प्रावधान में प्रावधान है कि किसी कंपनी और ऐसे किसी भी व्यक्ति के बीच समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए याचिका दायर की जा सकती है। ***मिहीर एच. मफतलाल*** *बनाम* ***मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड***[1] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यह पता लगाने के लिए सीमित है कि क्या योजना को सदस्यों और लेनदारों द्वारा मंजूरी दी गई है और आगे यह योजना सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं है और यह सार्वजनिक हित में है या नहीं। यदि अलग-अलग आवेदन दायर किए जाते हैं, तो इससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है। न्यायालय को केवल शेयरधारकों/लेनदारों द्वारा स्वीकृत योजना को अनुमोदित करना है क्योंकि वे इसके वाणिज्यिक कोण को देखने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच विलय/ विभाजन /व्यवस्था में हमेशा दो पहलू हो सकते हैं। निश्चित रूप से, यदि यह योजना किसी कानून का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय हमेशा उस पहलू की जांच कर सकता है। यहां तक कि विलय/डीमर्जर के परिणामी प्रभाव कर देयता से बचने का मुद्दा भी कंपनियों के पक्ष में राय दी गई है क्योंकि यह योजना को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, **हिंदुस्तान लीवर और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक**

[1] (1997) 1 एससीसी 579

अन्य[2] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, **हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**[3] में कलकत्ता उच्च न्यायालय, लार्सन और टुब्रो लिमिटेड में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया था। पीएमपी ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड[4] पुनः में। मानेकचौक और अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड[5] 819, और 2006 के सीपी नंबर 9 और 10, कोर हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम निरमा लिमिटेड, 1.3.2007 को निर्णय लिया गया, और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड बनाम आयकर विभाग।"[6]

(19) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों के जवाब में, आधिकारिक परिसमापक के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के प्रावधानों में परिकल्पना की गई है कि ए-कंपनी के बीच समामेलन की योजना की मंजूरी कई कंपनियों के साथ हो सकती है। किसी कंपनी की व्यवस्था की योजना अन्य कंपनियों की संख्या के साथ हो सकती है । इसमें ऐसी योजना को मंजूरी देने का प्रावधान नहीं है जिसमें विभिन्न कंपनियां शामिल हों और विभिन्न व्यवस्थाओं को मंजूरी देने की मांग की गई हो। कंपनी अधिनियम, 2013 में भी इसी तरह के प्रावधान हैं। उन्होंने आगे कहा कि ***मिहीर एच. मफतलाल*** के मामले (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के बचाव में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कोई कानून निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनमें दिशा-निर्देशों का प्रावधान है कि शेयरधारकों/लेनदारों द्वारा स्वीकृत योजना के अनुमोदन के प्रयोजन राथ कंपनी न्यायालय द्वारा किन बातों की जांच की जानी है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय में, योजनाएं ऐसी नहीं थीं जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुमोदित करने की मांग की गई

---

[2] (2004) 9 एससीसी 438
[3] 1960 एआईआर कलकत्ता 637
[4] 2004 (121) कंपनी कैस 523, 1994 (80)
[5] 289, 1970 में गुजरात उच्च न्यायालय (40)
[6] 2013) 176 कॉम्प कैस 7 (गुजरात)।

है। जैसा कि सभी मामलों में केवल दो या अधिक कंपनियां शामिल थीं, जो एक योजना का हिस्सा थीं और अलग-अलग योजनाएं नहीं थीं।

(20) कंपनी अधिनियम की धारा 394 के प्रावधानों के अनुसार, एक कंपनी में कितनी भी कंपनियों का समामेलन हो सकता है, लेकिन एक कंपनी 'ए' के कारोबार के हिस्से को कंपनी 'बी' में विलय नहीं किया जाना है और अन्य कंपनियों को कंपनी-ए के साथ विलय करने की मांग की गई है। दोनों योजनाओं का स्वतंत्र रूप से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्र योजनाएं हैं। सभी कंपनियों की बैलेंस शीट,आंकड़े और वित्तीय अलग-अलग होंगे। बोर्ड रूम में बैठे शेयरधारक किसी भी चीज को मंजूरी या अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन अंततः यह कंपनी कोर्ट को देखना है कि अपनाई गई प्रक्रिया को मंजूरी दी जा सकती है या नहीं।

(21) पक्षकारों के वकीलों को सुना और पेपर-बुक का अवलोकन किया।

(22) अधिनियम की धारा 391 में प्रावधान है कि जहां 'एक कंपनी' और उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच या 'ए कंपनी' और उसके सदस्यों या उनके किसी भी वर्ग के बीच समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है, कंपनी न्यायालय कंपनी या किसी लेनदार या कंपनी के सदस्य के आवेदन पर कंपनी न्यायालय कर सकता है, आदि आदेश दें कि लेनदारों या सदस्यों की एक बैठक उस तरीके से आयोजित की जाए जैसा कि न्यायालय निर्देश देता है।

(23) अधिनियम की धारा 392 में यह प्रावधान है कि कंपनी न्यायालय को समझौता या व्यवस्था की मंजूरी देते समय समझौता या व्यवस्था करने की निगरानी करने का अधिकार है। आदेश पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, न्यायालय ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह समझौते या व्यवस्था के उचित कामकाज के लिए आवश्यक समझे। यदि व्यवस्था या समझौता संशोधनों के साथ या उसके बिना संतोषजनक रूप से काम नहीं करता है और कंपनी अदालत संतुष्ट है, तो वह कंपनी को स्वत: या किसी व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर बंद करने का आदेश भी दे सकती है।

(24) अधिनियम की धारा 394 में इस योजना को मंजूरी देते समय विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का प्रावधान है।

(25) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***मिहीर एच. मफतलाल*** **के** मामले (सुप्रा) में विलय/विघटन के मामलों में कंपनी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे पर राय व्यक्त की। संबंधित पैरा नीचे दिया गया है: –

"योजना को मंजूरी देने में कंपनी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा इस प्रकार है: –

1. मंजूरी देने वाली अदालत को यह देखना होगा कि ऐसी योजना का समर्थन करने के लिए सभी अपेक्षित वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और धारा 391 (1) (ए) द्वारा विचार की गई अपेक्षित बैठकें आयोजित की गई हैं।

2. यह कि न्यायालय की मंजूरी के लिए रखी गई योजना धारा 391 उप-धारा (2) के अनुसार आवश्यक बहुमत वोट द्वारा समर्थित है।

3. यह कि लेनदारों या सदस्यों या उनमें से किसी भी वर्ग से संबंधित बैठकों में प्रासंगिक सामग्री थी ताकि मतदाताओं को विचाराधीन योजना को मंजूरी देने के लिए एक सूचित निर्णय पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। मतदाताओं के संबंधित वर्ग का बहुमत का निर्णय पूरे वर्ग के लिए उचित और उचित है ताकि उस वर्ग के असंतुष्ट सदस्यों को भी वैध रूप से अंधा किया जा सके।

4. धारा 393 (1) (ए) द्वारा इंगित सभी आवश्यक सामग्री को धारा 391 उप-धारा द्वारा विचार के अनुसार बैठकों में मतदाताओं के समक्ष रखा जाता है।

5. यह कि अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के परंतुक द्वारा विचार की गई सभी अपेक्षित सामग्री को संबंधित आवेदक द्वारा ऐसी योजना के लिए मंजूरी मांगने के लिए अदालत के समक्ष रखा जाता है और न्यायालय इसके बारे में संतुष्ट हो जाता है।

6. समझौता और व्यवस्था की प्रस्तावित योजना कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाली नहीं पाई जाती है और यह अनुचित नहीं है, न ही सार्वजनिक नीति के विपरीत है। इस पहलू पर संतुष्ट होने की दृष्टि से योजना के अंतर्निहित वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने के लिए, न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो योजना के अंतर्निहित स्पष्ट कॉर्पोरेट उद्देश्य के पर्दे को भेद सकता है और विवेकपूर्ण रूप से इसका एक्स-रे कर सकता है।

7. कंपनी कोर्ट को यह भी संतुष्ट करना होगा कि सदस्य या सदस्यों का वर्ग या लेनदारों या लेनदारों का वर्ग, जैसा भी मामला हो, नेकनीयती और नेकनीयती से काम कर रहे थे और अल्पसंख्यकों को किसी भी हित को बढ़ावा देने के लिए बाध्य नहीं कर रहे थे, जिसमें उसी वर्ग के लोग शामिल थे, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

8. यह कि समग्र रूप से यह योजना व्यवसाय के विवेकपूर्ण व्यक्तियों के दृष्टिकोण से न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित पाई जाती है, जो उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग के लिए लाभकारी वाणिज्यिक निर्णय लेते हैं, जिनके लिए यह योजना बनाई गई है।

9. एक बार जब न्यायालय की मंजूरी प्राप्त करने के लिए किसी योजना की आवश्यकताओं के बारे में उपरोक्त व्यापक मापदंडों को पूरा किया जाता है, तो न्यायालय के पास व्यक्तियों के अधिकांश वर्ग के वाणिज्यिक ज्ञान पर अपील करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिन्होंने अपनी खुली आंखों से योजना को अपनी मंजूरी दी है, भले ही अदालत के विचार में कंपनी के लिए एक बेहतर योजना हो। और इसके सदस्य या लेनदार जिनके लिए योजना तैयार की गई है। न्यायालय इस आधार पर ऐसी योजना को मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि यह अन्यथा न्यायालय को अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के बजाय योजना पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के बराबर होगा। कंपनी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे के उपरोक्त मापदंड, जिन्हें समझौते और व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने के लिए कहा गया है, संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि

केवल अदालत के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा का व्यापक रूप से चित्रण करते हैं।

(26) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को निर्धारित करते समय, यह उल्लेख किया गया है कि वे केवल चित्रात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

(27) तथ्यों के आधार पर, कंपनी न्यायालय के समक्ष मंजूरी के लिए रखी गई योजना उस मामले में यह थी कि मफतलाल फाइन स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समामेलित किया जाना था। तत्संबंधी संबंधित पैरा नीचे दिया गया है:-

"8. हस्तांतरणकर्ता-कंपनी एमएफएल को निम्नलिखित परिस्थितियों में और निम्नलिखित कारणों से प्रतिवादी-कंपनी एमआईएल के साथ समामेलित करने का प्रस्ताव है:

(28) ***हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड* के** मामले (सुप्रा) में कंपनी न्यायालय के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई योजना एक कंपनी से संबंधित थी जो अपनी शेयर पूंजी की पुन: व्यवस्था प्रदान करती थी। शेयरधारकों के विभिन्न वर्गों के बीच व्यवस्था की योजना का प्रासंगिक पैरा, जैसा कि निर्णय में देखा गया है, नीचे निकाला गया है: –

"3. इन परिस्थितियों में, जनवरी, 1957 में कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के कई वर्गों के बीच व्यवस्था की एक योजना का प्रस्ताव दिया और योजना के हिस्से के रूप में कंपनी की पूंजी में कटौती की। व्यवस्था की योजना के प्रस्ताव के साथ एक व्याख्यात्मक परिपत्र भी था। मूल रूप से प्रस्तावित योजना में (क) परिपत्र में दी गई व्यवस्था के अनुसार शेयर पूंजी को रद्द करने का प्रावधान किया गया है (ख) 100 रुपये के प्रत्येक वरीयता शेयर के लिए 70 रुपये की सीमा तक चुकता पूंजी को रद्द करके शेयर पूंजी को 10 रुपये के प्रत्येक सामान्य शेयर के लिए 8 रुपये की सीमा तक और प्रत्येक स्थगित शेयर के लिए 4 रुपये

की सीमा तक कम करने का प्रावधान किया गया है। (ग) शेयरों के समेकन के लिए और वरीयता, साधारण और आस्थगित शेयरों के बदले 10/- रुपये के पूर्ण चुकता साधारण शेयर जारी करने के लिए और 100/- रुपये के एक वरीयता शेयर के बदले 10/- रुपये के 3 पूर्ण चुकता साधारण शेयरों के आवंटन के लिए जिसमें लाभांश की बकाया राशि भी शामिल है(d) - कंपनी की अधिकृत पूंजी को घटाकर 37,50,000/- रुपये करने के लिए (ङ) 10/- रु. के 2,83,142/- रु. के साधारण शेयर आगे जारी करने के लिए 10/- रु. के सामान्य शेयर पूंजी निर्गम नियंत्रक की स्वीकृति के अध्यधीन होंगे, जिसमें से 1,20,000/- साधारण शेयर प्रबंध एजेंटों या उनके नामितियों को कंपनी से 12 लाख रु की सीमा तक उनकी देय राशि की आंशिक संतुष्टि के रूप में आबंटित किए जाने हैं। 66,858 साधारण शेयरों की पेशकश कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को की जानी है और शेष 96,284 साधारण शेयरों का निपटान निदेशकों द्वारा इस तरीके से किया जाना है जो वे उचित समझते हैं। व्याख्यात्मक परिपत्र में कहा गया है कि पूंजी को रद्द करने के प्रस्ताव से लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष राशि को समाप्त करने के लिए 22,5,50,720 रुपये की राशि उपलब्ध हो जाएगी और इस तरह के समायोजन पर 13,48,280 रुपये की राशि लाभ और हानि खाते के डेबिट में रहेगी। परिपत्र में कहा गया है कि प्रबंध एजेंट योजना की स्वीकृति के अधीन कंपनी को अपने अग्रिम में से 13 लाख रुपये छोड़ने और अग्रिम की शेष राशि में से 12 लाख रुपये को कंपनी के सामान्य शेयरों में बदलने के लिए सहमत हुए थे। परिपत्र में कहा गया है कि प्रबंध एजेंटों ने अगस्त, 1951 से अपने अग्रिम पर कोई ब्याज नहीं लिया था और इस प्रकार 101/2 लाख रुपये से अधिक की राशि का ब्याज माफ कर दिया था और 3,75,000 रुपये के अपने मासिक भत्ते को भी छोड़ दिया था। "

(29) **कोर हेल्थकेयर लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में,** अनुमोदन के लिए कंपनी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत व्यवस्था की योजना केवल दो कंपनियों अर्थात् कोर हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम निरमा लिमिटेड के बीच थी।

(30) **मानेकचौक और अहमदाबाद विनिर्माण कंपनी लिमिटेड का मामला** (सुप्रा), कंपनी कोर्ट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत योजना लेनदारों और कंपनी के सदस्यों के बीच एक समझौता था। योजना की मुख्य विशेषताएं, जैसा कि निर्णय में देखा गया है, नीचे दी गई हैं: -

"3. अंतिम रूप से अदालत को उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई योजना में कंपनी की शेयर पूंजी के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है, जिसमें 1000 रुपये के सामान्य शेयर के अंकित मूल्य को पूरी तरह से भुगतान किए गए 250 रुपये तक कम करके शेयर पूंजी को कम करना और 100 रुपये के वरीयता शेयर को पूरी तरह से भुगतान किए गए 25 रुपये तक कम करना शामिल है। इस स्कीम में प्रत्येक असुरक्षित लेनदार के सत्यापित दावे के 50% तक कामगारों को छोड़कर कंपनी के असुरक्षित लेनदारों को शेयर जारी करके शेयर पूंजी में वृद्धि करने की भी परिकल्पना की गई है। इस योजना में कंपनी की मिलों की यूनिट संख्या II को समाप्त करने और समाप्त करने की परिकल्पना की गई है और बिक्री आय का उपयोग सुरक्षित लेनदारों, अर्थात् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त। को भुगतान के लिए किया जाएगा। यूनिट संख्या-II को समाप्त किए जाने के बाद, खुली भूमि को इच्छुक पट्टेदार को दे दिया जाता है जिससे एक स्थिर आय प्राप्त होगी। कंपनी की मिलों की यूनिट संख्या 1 को पुन प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। सुरक्षित लेनदारों को योजना में निर्धारित तरीके से पूर्ण भुगतान किया जाना है। शेष 50 प्रतिशत। असुरक्षित लेनदारों के दावों को दो वर्ष की अवधि के लिए फ्रीज किया जाना है और उसके बाद उक्त दावों को योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार पूरा किया जाना है। कामगारों की देय राशियों का भुगतान चरणों में किया जाना है। आपत्तियों पर विचार करते समय योजना की कुछ विस्तृत विशेषताओं की जांच की जाएगी।

(31) ***वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड के*** मामले (सुप्रा) में, इस योजना में ए कंपनी के व्यवसाय के हिस्से को अलग करने और उसे अन्य के साथ विलय करने की परिकल्पना की गई थी। इसमें हस्तांतरणकर्ता कंपनियों की निष्क्रिय अवसंरचना परिसंपत्तियों को अलग करने और हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के साथ निहित करने का प्रावधान किया गया था।

(32) ***हिंदुस्तान लीवर (*** सुप्रा) के मामले में भी, इस योजना में केवल दो कंपनियों के बीच व्यवस्था का प्रावधान था।

(33) ***पीएमपी ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के*** मामले (सुप्रा) में, इस योजना में तीन कंपनियां शामिल थीं, जिनके संदर्भ में कंपनी ए को कंपनी बी के साथ समामेलित किया जाना था और इसके तुरंत बाद कंपनी बी को कंपनी सी के साथ समामेलित किया जाना था, लेकिन यह कंपनी कोर्ट के समक्ष दायर एक भी याचिका का हिस्सा नहीं था, क्योंकि योजनाओं की मंजूरी के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं।

(34) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से यह पता नहीं चलता है कि किसी भी मामले में विभिन्न कंपनियों के विलय/विघटन के लिए प्रदान की गई एकल समग्र योजना को एकल याचिका दायर करके मंजूरी के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

(35) यदि इस तरह की योजना, जैसा कि इस मामले में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, पर विचार किया जाता है, तो विलय/अलग की जाने वाली कंपनियों के सटीक आंकड़े, संख्या, वित्तीय जानकारी न्यायालय के साथ-साथ बैठकों में कंपनियों के सदस्यों और लेनदारों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। पहले भाग के कार्यान्वयन के बाद कंपनी की स्थिति क्या होगी, जो योजना में दूसरे भाग से स्वतंत्र है, यह ज्ञात नहीं होगा। बैठकों में, सदस्यों या लेनदारों के लिए योजना की जांच करना संभव नहीं हो सकता है। इस मुद्दे की जांच हमेशा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

(36) अधिनियम की धारा 392 कंपनी न्यायालय को योजना की मंजूरी के बाद समय या किसी भी समय कोई आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करती है ताकि यह निगरानी की जा सके कि योजना को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं। यदि उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी को बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है। यदि विभिन्न

उद्देश्यों के साथ विभिन्न कंपनियों को शामिल करते हुए एक समग्र योजना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो न्यायालय के लिए यह जांचना संभव नहीं होगा कि योजना के पहले भाग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को वास्तव में प्राप्त किया गया है या नहीं। योजना के पार्ट वन के लागू होने के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न, हस्तांतरणकर्ताऔर हस्तांतरी कंपनी के बिजनेस, प्रॉफिट आदि में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। उन आंकड़ों को परिणामी कंपनी और अन्य कंपनियों के सदस्यों और शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिन्हें परिणामी कंपनी के साथ विलय या अलग करने की मांग की जाती है।

(37) केवल इसलिए कि, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दावा किया गया है कि, योजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है, विभिन्न कंपनियों और विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाली एक समग्र योजना को मंजूरी देने के लिए एक अच्छा आधार नहीं होगा, जिसका आपस में कोई संबंध नहीं है। यदि एक समग्र याचिका दायर की जानी है, तो यह दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच व्यवस्था होनी चाहिए, न कि अलग-अलग कंपनियों को शामिल करने वाली अलग-अलग व्यवस्था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय योजना की मंजूरी के समय कंपनियों के सदस्यों के व्यावसायिक सिद्धांतों या वाणिज्यिक ज्ञान की जांच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन डोमेन के भीतर है और यह उसी में आएगा। यह कंपनी न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कंपनी के सदस्यों और लेनदारों के समक्ष सही तथ्यों, संख्याओं, आंकड़ों की प्रस्तुति सुनिश्चित करे। कंपनियों के पास कार्रवाई के अलग-अलग कारण हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है।

(38) इसलिए, मेरी राय में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत योजना के अनुमोदन की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(39) तदनुसार, याचिकाओं को खारिज किया जाता है। हालांकि, याचिकाओं को खारिज करने से याचिकाकर्ता कंपनियों को उचित याचिका दायर करने से नहीं रोका जा सकेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।